R457-III-15

श्रीमान राजस्व मन्डल ग्वालियर

महेशकुमार पिता चेलारामजी बुलचंदानी
निवासी नई आबादी मन्दसोर ------------------ प्रार्थी

बनाम

म.प्र. शासन ------ विपक्षी

क्रमांक 4664

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 अवधि विधान

माननीय महोदय,

प्रार्थना पत्र प्रार्थी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यह कि प्रार्थी के द्वारा एक अपील माननीय अतिरिक्त कमिश्नर महोदय के यहां धारा 9 स्टाम्प एक्ट के तहत स्टाम्प कलेक्टर महोदय मन्दसोर के आदेश के विरूद्व प्रस्तुत कि थी ।

2- यह कि उक्त आदेश के विरूद्व मानीय कमिश्नर महोदय के अपील न होकर माननीय न्यायालय मे निगरानी होती हे ।

3- यह अपील उक्त न्यायालय ने सक्षम न्यायालय राजस्व मन्डल मे प्रस्तुत करने हेतु मुलतः वापस कर दी जो इस आवेदन के साथ संलग्न हे ।

4- यह कि माननीय कमिश्नर महोदय के यहां पर उक्त अपील सदभावी रूप से प्रस्तुत कि गई थी जो उनके द्वारा सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु वापस की इस कारण यह अवधि प्रार्थी मुजरा करने का अधिकारी हे तथा जो विलम्ब हुआ हे वह क्षमा योग्य है ।

अतएवः निवेदन हे कि प्रार्थी को गलत न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करने मे जो विलम्ब हुआ हे उसे क्ष्मां किया जावे तथा उसकि अपील को निगरानी के रूप मे स्वीकार कि जाकर गुणदोषो पर निराकरण करने की कृपा करे ।

दिनांक 23.02.2015

प्रार्थी
महेशकुमार पिता चेलारामजी बुलचंदानी
निवासी नई आबादी मन्दसोर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 457–तीन/2015 जिला मन्दसौर

महेशकुमार विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–1–2016	आवेदक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प के प्रकरण कमांक 22/बी–103/33/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 25–6–14 के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त को प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने प्रकरण समक्ष न्यायालय में वापस किये जाने हेतु दिनांक 13–2–15 को वापस किया। इसके पश्चात दिनांक 3–3–15 को यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अतः कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश दिनांक 25–6–15 के आदेश के विरूद्ध लगभग 8 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा 8 माह के दिन प्रति विलम्ब का समाधानकार कारण म्याद अधिनियम की धारा 5 के आवेदन में नहीं दर्शाया है। आवेदक को आदेश की जानकारी कब और किस प्रकार हुई तथा आदेश की सत्यप्रतिलिपि हेतु आवेदन कब प्रस्तुत हुआ इसका कोई उल्लेख आवेदन में नहीं किया है इसके अतिरिक्त आवेदन के समर्थन में शपथपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी अवधिबाह्य होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	